न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

मूलसिंह बनाम गुल्का आदि

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

धारा                    क्रमांक 64/2023

19.09.2024 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 07.10.2024 को पेश हो।

( अनिल कुमार )
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

07.10.2024 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णये/आदेश पत्रावली दिनांक 14.10.2024 को पेशं हो।

( अनिल कुमार )
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

14.10.2024 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वास्ते निर्णये/आदेश पत्रावली दिनांक 17.10.2024 को पेश हो।

( अनिल कुमार )
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

17.10.2024 वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:55 IST
Reason: SelfAttested

( अनिल कुमार )
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0**

**पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)**

| प्रकरण संख्या | जीसीएमएस | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 64 / 2023 | 2023 / 143 | 28.04.2023 | 17.10.2024 |

## उनवान प्रकरण

1. मूलसिंह पुत्र सुगनसिंह आयु 73 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

**——वादी**

**बनाम्**

1. गुलझारी लाल पुत्र गिरधारीलाल
2. **गिरधारीलाल पुत्र बागाराम**

   **समस्त जाति महाजन निवासीगण ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0**
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

**——प्रतिवादीगण**

**उपस्थिति :–**

**श्री कानाराम पूनियां एड0, वादी अभिभाषक।**

**सरकारी पैरोकार प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)



सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

## वादपत्र ईस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा, दुरूस्ती रिकार्ड
## (अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

### —:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3996 रकबा 0.42 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम से अंकित चली आ रही है। उक्त भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 से गुमानसिंह, रामसिंह पुत्रगण प्रभूदानसिंह ने शुरू में ही क्रय कर लिया था तथा क्रय करने के बाद पश्चात उक्त क्रेताओं गुमानसिह, रामसिंह पुत्रगण प्रभूदानसिंह ने उक्त भूमि में से 0.07 हैक्टर भूमि को वादी को जरिये बही लिखावट दिनांक 16.12.1977 को बैचान कर दी थी तथा उक्त बेचान की लिखावट बही में कराकर उक्त विक्रेताओं ने अपने–अपने हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी आदि किये थे तथा उक्त लिखावट में विक्रित भूमि चर्तुसीमाये निम्न प्रकार अंकित की गयी थी उत्तर में पण्डा(ब्राह्मण) की जमीन, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व पश्चिम पूर्व में बावडी का जाव, पश्चिम में जमीन में रास्ता है जिससे पश्चिम में छिगन संगी व हनुमानसिंह, हाकिमसिंह, रणजीतसिंह वगैरह की जमीन है। इस सीमा भीतर जो जमीन है। उक्त लिखावट पर रामसिंह, गुमानसिंह, हनुमानसिंह, भोमसिंह, नारायणसिंह, रामूराम, लिछमण, महेन्द्रसिंह आदि ने अपने हस्ताक्षर आदि किये थे। उक्त भूमि में से रकबा 0.07 हैक्टरे को वादी ने 4300 रूप्ये में विधिवत रूपेण क्रय की हैं। जिसका वर्णन में नजरी नक्शा दर्शित किया गया है। जिसमें वादी मय परिवार वर्ष 1977 से पुख्ता मकान बनाकर काबिज एवं आबाद चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादी क्रय के समय के पुख्ता मकान बनाकर मय परिवार आवास निवास करता आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:55 IST
Reason: SelfAttested



सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

रहा है। वादी अर्द्ध सैनिक बल (सीमा सुरक्षा बल) में कार्यरत था तथा वादी ने उक्त जमीन अपनी पत्नी के रूप्ये 4300 रूप्ये कय की है। वादी के भाई व परिवारजन का उक्त भूमि में कोई रूप्या नही लगा है। इस प्रकार उक्त भूमि पर वादी मकान निर्माणात बनाकर काबिज काश्त रहने के कारण वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। वादी आज भी लगातार बहैसियत खातेदार काश्तकार इस जमीन पर काबिज काश्त चला आ रहा है। एवं पुख्ता मकानात बनाकर मय परिवार आबाद चले आ रहे है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण एवं दीगर का कोई सम्बन्ध किसी किश्म का नही है। उक्त भूमि को कय करने के बाद से उक्त भूमि से विकतागण का एवं उनके बुजुर्गान का कभी कोई ताल्लुक किसी किस्म का नही रहा, ना ही वर्तमान में कोई ताल्लूक है, ना ही इनका कभी कोई कब्जा काश्त रहा, ना ही वर्तमान में कब्जा काश्त हैं। वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रतिवादीगण एवं इनके बुजुर्गान वादी के कब्जा काश्त में कोई मजाहमत किसी प्रकार से नही की। जमीनो की बढती हुयी कीमतो के कारण दीगर भूमाफियाओ के मन में बदयानित उत्पन्न हो गयी है और व उक्त जमीनो का विकय लेख दीगर के पक्ष में पंजीबद्धे करवाकर वादी को जबरन बेदखल करने पर आमाद हो रहे हैं, जबकि वादी ने उक्त भूमि को लाखो रूप्ये लगाकर उन्नत बनाकर पुख्ता मकानात बनाकर मय परिवार काबिज एवं आबाद है। इसलिये वादी उक्त भूमि का कानूनन खातेदार काश्तकार है। वादी उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी अपने नाम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादीगण भी पूर्णतया पाबन्द हैं और उसके विपरीत कार्य करने से स्टोप्ड है। वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, इसलिये वादी को खातेदारी काबिज काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी रिकार्ड वादी के नाम दर्ज किया जाना अत्यन्त आवश्क एवं न्यायोचित हैं। उक्त भूमि के खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 वर्तमान में गावं में निवास नहीं करते है एव ना ही इनका कोई वारिसान गांव में है, ना ही इनके बारे में वर्तमान में किसी ने कोई सुना है, ना ही किसी ने वर्तमान में इनको देखा है, ना ही इनके वारिसान बाबत कोई जानकारी हैं। यदि प्रतिवादीगण वादी को उसकी कयशुदा एवं कब्जाशुदा भूमि को दीगर को बेचान कर देगे या अन्[illegible] को जावेगा जिससे वादी को अकथनीय क्षति होगी तथा जिसकी पूर्ति किसी भी [illegible] से [illegible] नही हो सकेगी। प्रतिवादीगण की इस गलत व अवैध व मनमानी [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:55 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी है तथा न्यायाहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इस्तदुआ है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3996 रकबा 0.42 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में से वादी को 0.07 हैक्टर का संलग्न नजरी नक्शे अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार है और उक्त रकबा 0.07 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी 0.07 हैक्टर की वादी के नाम से अलग से की जाकर अलग बट्टा नम्बर डालकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वे कृषि भूमि खसरा नम्बर 3996 रकबा 0.42 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में वादी के 0.07 हैक्टर के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग को दीगर किसी को किसी तरह से अन्तरण नही करें।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तामील पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। रजिस्टर्ड डाक पर "मृत्यु हो चुकी है" अंकित होकर तामील वापिस होकर लौटी। प्रकरण की परिस्थित को देखते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के वारिसान की तामील जरिये आम सूचना समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित करवाये जाने की स्वीकृति दी गई। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की रोष्ट्रीयकृत अखबार से तामील करवाई जाने की प्रति पेश की। बावजूद तामील के कोई हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में साक्ष्य वादी में वादी का मुख्य परीक्षण में वादी मूलसिंह पत्रु ~~सुल्तानसिंह~~ फूलसिंह जात राजपूत व साक्ष्य गवाहान में भागीरथसिंह शेखावत पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किए। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय [illegible] मल में लाई जाने से आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया [illegible] वादी एकपक्षीय सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:55 IST
Reason: SelfAttested

32

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (नीम का थाना)

हमने एकपक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् जमाबंदी संवत 2074–2077, आधार कार्ड की फोटोप्रति, नक्शा ट्रैस, बही लिखावट दिनांक 16.12.1977 व साक्ष्य वादीगण में प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर नीमकाथाना से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 04.04.2024 में अवगत कराया है कि ग्राम झाडली की भूमि खसरा नम्बर 3996 रकबा 0.42 हैक्टर की खातेदारी गुलझारीलाल पि0 गिरधारी लाल हिस्सा 1/2 कोम महाजन गिरधारीलाल पि0 बागाराम हिस्सा 1/2 कोम महाजन सा.0 देह के नाम खातेदारी हक से दर्ज है भूमि खसरा नम्बर 3996 रकबा 0.42 हैक्टर का मौका देखा गया। मौके पर उक्त खसरा नम्बर के उतरी–पूर्वी कोने में मूलसिंह पत्रु सुगनसिंह जाति राजपूत का 0.05 हैक्टर में पुख्ता पक्का मकान एवं चार दिवारी बनी हुई हैं। मकान एवं चार दिवारी पुरानी है। बही लिखावट दिनांक 16.12.1977 मे वादी द्वारा उक्त जमीन 4300/– चार हजार तीन सौ रूपये मे क्रय किया जाना प्रकट होता है। जिस पर वादी द्वारा कई वर्षो से मकान बनाकर काबिज एवं आबाद होना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है। पक्षकारान् के मध्य हुए लिखावट के द्वारा एवं उक्त जमीन पर वादी का वर्तमान में कब्जा एवं आबाद चले आने से वादी के वादपत्र को स्वीकार किया जाना तथा साक्ष्य वादी में प्रस्तुत शपथ पत्रों से वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। जिनके आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरुस्ती को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना [illegible] होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:55 IST
Reason: SelfAttested

——:: क्रियात्मक आदेश ::——

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् इकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 3996 रकबा 0.42 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में से तहसीलदार रिपोर्ट व नक्शानुसार वादी को 0.05 हैक्टर (राज0) का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं व उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से हिस्सा 0.05 हैक्टर से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर तथा शेष यथावत रखते हुए हुए राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है तथा भूमिधारी तहसीलदार को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 04.04.2024 को निर्णय का भाग रहेंगे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक **17.10.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:55 IST
Reason: SelfAttested